

## न्यायालय तहसीलदार अजमेर (जिला अजमेर)

प्रकरण संख्या 24/2022

अन्तर्गत धारा 91

राज भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार जरिये पटवारी हल्का सोमलपुर बनाम

श्री प्रभु पुत्र समदा जाति  
चीता निवासी सोमलपुर  
तहसील अजमेर

### निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सोमलपुर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कि ग्राम सोमलपुर के खसरा नम्बर 5101/3546 रकबा 9.41 भूमि है। जिसमें से 0.16 हैक्ट. पर कांटे की बाड़ लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। वर्तमान में ग्राम सोमलपुर की आराजी खसरा नम्बर 5101/3546 रकबा 9.41 मुताबिक रिकॉर्ड किस्म गै0मु0 पहाड़ दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया तथा गैर सायल अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पटवारी रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी संवत 2079 के अनुसार खसरा नम्बर 5101/3546 रकबा 9.41 जिस पर अतिक्रमी श्री प्रभु पुत्र समदा जाति चीता निवासी सोमलपुर तहसील अजमेर द्वारा 0.16 हैक्ट. भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया जाना सिद्ध होता है।

अतः उक्त प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए अतिक्रमित भूमि ग्राम सोमलपुर के खसरा नम्बर 5101/3546 से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही भूमि की लगान 1 रू का पच्चास गुना राशि 50रू की शास्ती से दण्डित किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व भू. अभि. निरक्षक/ पटवारी हल्का को शास्ती राशी की वसूली व अतिक्रमी को मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



तहसीलदार अजमेर  
तहसीलदार, अजमेर